



अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान टाईटल सुट संख्या- 13/2012-13

सनातन हाँसदा।

वनाम

राज्य सरकार एवं अन्य।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
	<p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>यह वाद दिनांक- 13.03.2013 को सनातन हाँसदा, पिता- स्व० मंगल सिंह हाँसदा, निवासी कबड़ागुट्ट, थाना- मुफ्फसिल चाईबासा, पो०- बड़ा लगिया, जिला- पश्चिमी सिंहभूम द्वारा जाति को लेकर राज्य सरकार एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खूँटपानी के विरुद्ध दायर किया गया है। इस वाद में दिनांक- 28.04.2016 के बाद दोनों पक्षों की ओर से कोई पैरवी नहीं करने के कारण इस न्यायालय के पत्रांक- 105/न्या० दिनांक- 25.11.2021 द्वारा अंचल अधिकारी, खूँटपानी को नोटिस तामिला हेतु भेजा गया। जिसके उपरांत नोटिस तामिला प्राप्त हुआ, लेकिन सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि- 13.12.2021 को उभय पक्ष या उनके अधिवक्ता द्वारा कोई पैरवी नहीं की गई है। इससे प्रतीत होता है कि दोनों पक्षों को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है।</p> <p>अतः उक्त के आलोक में इस वाद को खारीज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।</p> <p> अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा</p>	